

18/11/24

पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी मज वादी उपा।
प्रकरण में वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रत्येक पत्र
आदेश 23 सिद्ध 1 जा.दी. का पेश कर प्रकरण को
बिंदो किये जाने का निवेदन किया। वादीगण की पहचान
उन्हे अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः प्रकरण में वादीगण
द्वारा की गई कार्यवाही की-याफर बिंदो किये जाने से
प्रकरण में नई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः
प्रकरण को वही स्तर पर छोड़ दिया जाता है। पत्रावली
मौखिक सुनार होकर नम्बर से मज ही

निर्णय सुनाया गया।



नानालाल

सावरी सिमर

नि. उपा. वर

R. K. S.

18